भारत में महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा

डॉ0 रानू शर्मा
असि0 प्रोफे0 एवं विभागाध्यक्षा, समाजशास्त्र विभाग, के0ए0 (पी0जी0) कॉलेज, कागसंज

सारांश

महिलाओं में घरेलू हिंसा एक साधारण समस्या ही नहीं एक भयानक रोग का रूप ले रहीं है जिससे न जाने कितनी महिलाऐं ग्रस्त होती जा रही हैं। हमारे देष की महिलाऐं है घर की चौखट से निकल कर देष के सर्वोच्च पदों पर पहुँची हैं लेकिन आज तक घरेलू हिंसा के खिलाफ उन्होने कुछ एक कदम ही बढ़ाए हैं। अगर इस समस्या को नहीं रोका गया तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग मानसिक रोग की चपेट में आ जायेगा। देखा जाय तो महिलाओं पर हिंसा के कोई बड़े कारण नहीं हैं, छोटे छोटे कारण पुरुश के अंहकार को तुश्ट न होने की बजह से बड़े बन जाते है। पुरुश अपनी असफलता, कुछ षराब पीने की बुरीलत और आयोग्यता को छिपाने दबाने की प्रदृति के कारण भी महिलाओं को हिंसा का षिकार होना पड़ता है। कितना आष्चर्य है कि दुनिया की आधी आबादी हिंसा का षिकार है एक तहर से आतंक का षिकार है और सन्नाटा पसरा पड़ा है। कौन बोलता है ?

नारी जन्म से पहिले ही हिंसा का लेख षिकार हो जाती है और जन्म ले भी लेती है तो मार दी जाती है, यदि यहाँ से भी बच जाय तो उसकी बढ़ती उम्र उसकी दुष्मन बनकर खड़ी हो जाती है, तथा उसके चारों ओर रहने वाले अपने ही उसे हिंसक दर्श्टि से देखते ही नहीं है बल्कि भूखे भेड़िए की तरह एकांत मिलने पर उस पर झपट पड़ते हैं। चारों ओर खामोषी छा जाती है, कोई नहीं बोलता, कोर्ट, कचहरी और थाने बिक जाते हैं, हिंसा का दौर यही नहीं थमता, विवाह के बाद कहीं स्टोव फटते हैं, कहीं रस्सी के फंदे झूलते हैं तो कहीं जिस्म पर लिखी गई इबारतें चीखने लगतीं हैं।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

डॉ0 रानू शर्मा,
''भारत में महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा'',
शोध मंथन, जून 2017,
Vol. 8, No. 2
पेज सं0 160–164
http://anubooks.com/?page_id=2030
Artcile No.26(SM433)

प्रस्तावना

आज के प्रगतिशील और प्रबुद्ध कहे जाने वाले भारत में घरेलू हिंसा का शिकार लगभग 70 प्रतिशत महिलाऐं विभिन्न रूपों में होती है। सरकारी आँकड़े ही बया करते है कि भारत में हर रोज हर 26 वें मिनट में एक महिला का उत्पीड़न किया जाता है हर 43 मिनट में अपहरण 34 वें मिनट में बलात्कार 42 वे मिनट में यौन उत्पीड़न और हर 93 वे मिनट में कोई न कोई महिला जला दी जाती है इससे यह साबित होता है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि छेड़छाड़ के 18.8। आइये देखते हैं कि ये ***घरेलू हिंसा है। है क्या ?*** वास्तव में घरेलू हिंसा महिलाओं पर पर पावर का दुरुपयोग करना है, केन्ट्रोल करने, भय दिखाने, गाली, धमकी, मारपीट, नीचा दिखाने और महिलाओं को अनुपयोगी सिद्ध करने आदि की पुरुष की सत्तात्मक रुग्ण मानसिकता का परिणाम है। घरेलू हिंसा को यदि वर्गीकृत करें तो हम उसे विभिन्न भागों में बाँट सकते है। जिसमें हम देख सकते है कि महिलाओं में घरेलू हिंसा एक साधारण समस्या ही नहीं एक भयानक रोग का रूप ले रही है जिससे जाने कितनीं महिलाऐं ग्रस्त हों गयीं और होती रहेगीं। **हिंसा से महिलाओं को संरक्षण मिल सके इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जाते रहे है।** राष्ट्रीय संगठन सक्रिय रूप से कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के लिए काम करते रहे है। इसके बाद भी महिलाओं के विरूद्ध हिंसा घटने की बजाय बढ़ ही रही है।[1] घरेलू हिंसा को देखते हुए 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम बनाने के बाद भी घरेलू हिंसा में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 36 प्रतिशत महिलाऐं गंभीर पारिवारिक हिंसा का शिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2009 में वैश्विक आंतकवाद में मरने वालो की संख्या–2239 थी वहीं भारत में घरेलू हिंसा में मरने वाली महिलाओं की संख्या 8383 थी।

घरेलू हिंसा के प्रकार

हमारे देश की महिलाओं घर की चौखट से निकल कर देश के सर्वोच्च पदे पर तो विराजमान हो गयी हैं लेकिन आज तक घरेलू हिंसा के खिलाफ उन्होंने कुछ–एक कदम ही बढ़ाए हैं, अगर ये कदम बढ़ते ही रहते तो यह समस्या एक भयानक रोग का रूप कभी धारण न करती।

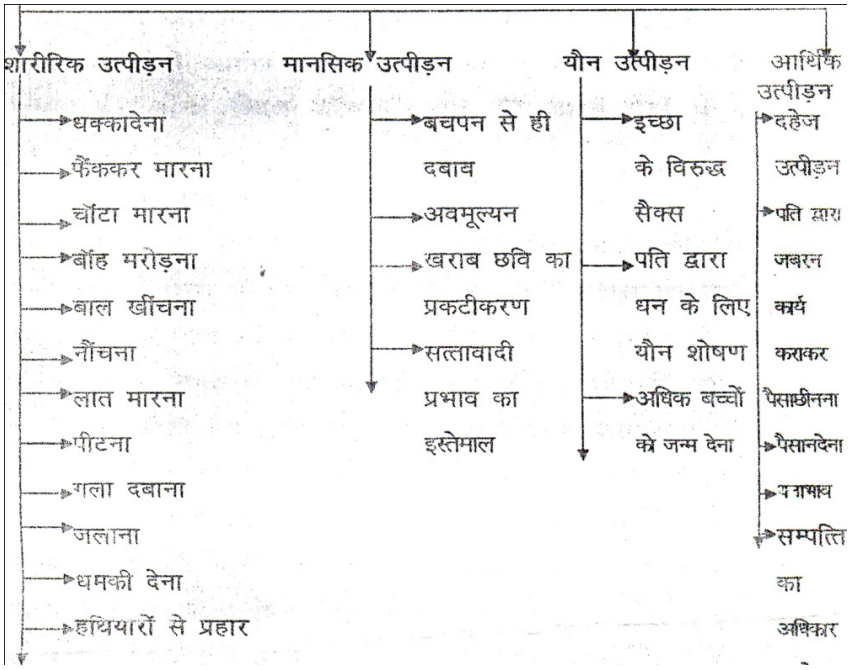

घरेलू हिंसा के कारणों पर दृष्टिपात करने पर हम पति हैं कि महिलाओं पर हिंसा के कोई कारण नहीं है। छोटे छोटे कारण पुरुष के अहंकार को तुष्ट न होने की बजह से बड़े बन जाते हैं पुरुष अपनी असफलता, कुण्ठा, शराब पीने की बुरीलत और अयोग्यता को छिपाने/दबाने की प्रवृत्ति के कारण भी महिलाओं को हिंसा का शिकार बनाते है। इनमे महिलाओं को बिना अनुमति के बाहर जाना, बच्चों की देखभाल न करना, बच्चों की संख्या अधिक होना, सैक्स को मना करना, ठीक से भोजन न पकाना, तर्क करना, दूसरे पुरुषों से बात करना, पति–पत्नी का अशिक्षित होना, धन का अभाव, ये ऐसे कारण है जो घरेलू हिंसा को जन्म देते जा रहे हैं इनके अलावा परिवारों मे पहिले से होती आ रहीं घरेलू हिंसा भी हिंसा को प्रेरित करती है।

कितना आश्चर्य है कि दुनियां की आधी आबादी हिंसा शिकार है, एक तरह से आतंक का शिकार है और सन्नाटा पसरा पड़ा है, कौन बोलता हैं कौन? केवल आंकड़े बोलते है? आइये देखें वे क्या कहते हैं ?

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट मुताबिक भारत में प्रतिदिन अवैध ढंग से 2000 कन्या भ्रूण हत्या की जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष बताता है कि भारत में 15 से 49 वर्ष की उम्र कुल महिलाओं में दो तिहाई विवाहित महिलाऐं किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार होती हैं, उनकी पिटाई की जाती है उनके साथ बलात्कार, और विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाऐं दी जाती है विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति एक हजार महिलाओं में से 64 महिलाऐं किसी न

किसी मानसिक रोग की जकड़ में हैं। भारत में लगभग चार करोड़ विधवाएं हैं जो विभिन्न रूपों में घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं।[2] प्रतिशत के मुकाबले पति व रिश्तेदारों से सताये जाने वाली घटनाओं का प्रतिशत 43.4 से भी अधिक है। दहेज द्वारा 2.9 प्रतिशत, महिला तस्कारी द्वारा 1. 1 प्रतिशत दहेज हत्या 3.8 प्रतिशत, यौनशोषण 3.7 प्रतिशत, बलात्कार 10.8 प्रतिशत महिलाए आज की शोषण और हिंसा का शिकार हैं।[3]

भारत के सभी प्रांतों में घरेलू हिंसा का शिकार किसी न किसी रूप में महिलाओं को होना ही पड़ता हैं। यह बात अलग है कि जहाँ हिमाचल प्रदेश में 6 प्रतिशत महिलाऐ घरेलू का शिकार हैं तो जम्बू एवं कश्मीर में 13 प्रतिशत जो अन्य प्रांतों की तुलना में सबसे कम है, वहीं राजस्थान व मध्यप्रदेश में 46 प्रतिशत उ0प्र0 में 42 प्रतिशत तो सर्वाधिक घरेलू हिंसा का शिकार बिहार में 59 प्रतिशत महिलाऐं हैं। प्रांतों का ये अन्तर शिक्षा, आर्थिक स्थिति, रोजगार, मद्यपान की न्यूनता व अधिकता, पर्यावरण, परम्पराओं आदि कारणों से कम ज्यादा है। जहाँ पर पति–पत्नी दोनों पढ़े लिखे हैं वहाँ 23 प्रतिशत घरेलू हिंसा के मामले पाये जाते हैं जहाँ दोनों पढ़े–लिखे नहीं हैं वहाँ घरेलू हिंसा का 48 प्रतिशत है। इसी प्रकार जिन घरों के मुखिया या पति शराब नही पीते हैं, वहाँ 30 प्रतिशत घरेलू हिंसा है, तथा जो नशे में धुत रहते हैं, वहाँ पर 69 प्रतिशत महिलाऐं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। ऐसा नहीं की नशे के आदी और अशिक्षित लोग ही महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। पढ़े–लिखे और समाज में प्रतिष्ठा की नजर से देखे जाने वाले लोग भी अत्याचार करते हैं। केरल तो हमारे देश का सर्वाधिक साक्षर प्रदेश है। वहाँ संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराया था, जिससे यह सच्चाई उभर कर सामने आई कि वहाँ भी महिलाओं का उत्पीड़न एक सामान्य बात है। केरल का सर्वे बताता है कि 49 प्रतिशत महिलाऐं सम्पत्ति रहित होने के कारण घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, जबकि जिनके पास सम्पत्ति है, वे महिलाऐं केवल 7 प्रतिशत घरेलू हिंसा का शिकार है।[4] यदि हम समग्र दृष्टि से देखें तो तीन मे से एक महिला पीटी जाती है, और पारिवारिक सदस्यों द्वारा उत्पीड़न का शिकार होती है तथा पाँच में से एक महिला अपने पूरे जीवन में बलात्कार का होती है। लेकिन कितना दुःखद सत्य है कि घरेलू हिंसा का शिकार महिलाऐं बोलती नहीं हैं तथा पूछने पर स्वीकार भी नहीं करती। केवल चार में से एक महिला मदद के लिए चिल्लाती है। घरेलू हिंसा का शिकार महिलाऐं घरेलू सदस्यों से ही मदद माँगती हैं, वे पुलिस या न्यायालय नहीं जाती केवल 2 प्रतिशत महिलाऐं ही पुलिस के पास जाती है तथा 01 प्रतिशत महिलाऐं सामाजिक संस्थाओं से मदद चाहती है।[4]

आंकड़े चाहे जो कहते हों लेकिन सारे दर्द को प्रकट नहीं कर सकतें। घरेलू हिंसा के लिए पुरुष ही दोषी नहीं हैं बल्कि महिलाऐं भी उतनी ही दोषी हैं। घर में बहू को प्रताड़ित करने के मामले में पति, देवर और ससूर ही नहीं होते बल्कि जेठानी, देवरानी, ननद सास की भी भूमिका होती हैं। इसीलिए घरेलू कानून का उनके लिए कोई विशेष मायने नहीं रह गया है। जब तक महिलाओं में जागरूकता नहीं आयेगी और मायके से डोली और ससुराल से अर्थी निकलने की सोच नहीं बदलेगी समाज में बदलाव नहीं आ सकता।[5]

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहिए–

- पारिवारों मे महिलाओं को खुलकर उनके साथ होने वाले भेदभाव हिंसा क्रूरता शोषण के खिलाफ आवाज उठानी होगी। परिवार की किसी भी महिला के साथ अन्याय न हो इसे रोकने की जिम्मेदारी उस परिवार की महिलाओं की होगी।
- पारिवार में लड़कों की परवरिश इस तरह करनी होगी कि उन्हें ऐसे संस्कार दिये जाय जिसमें वह महिलाओं का सम्मान कर सकें ताकि बड़े होकर किसी भी महिला से हिंसा न करे।[6]
- महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर होना चाहिए ताकि वह अपने पैरो पर खड़े होकर एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सके।
- षहर की ज्यादातर महिलाऐं शिक्षित होती हैं। फिर भी उन पर अत्याचार होते हैं यह साबित करता है कि महिलाओं को नैतिक रूप से मजबूत तथा सशक्त बनना होगी।[7]
- घरेलू हिंसा अधिनियम की जानकारी को टी0वी0 चैनलो, अखबारों, मीडिया, आदि के द्वारा जागरूक किया जाय ताकि समाज में महिला हिंसा के विरूद्ध एक माहौल तैयार है।
- लिंग भेद को खत्म किया जाना चाहिए और बालिकाओं को संरक्षण देकर उनकी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिऐ
- पुलिस प्रशासन एंव न्यायालय द्वारा घरेलू हिंसा के मामलों के त्वरित निर्णय लेने होगें उनकी शिकायत दर्ज होने से लेकर कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए घरेलू हिंसा के दर्द की वास्तविकता को समझकर उसके अनुरूप, सामाजिक व्यवस्था, सवैंधानिक नीति निर्धारण और कानून बनाने होंगे। क्योंकि हिंसा से ग्रसित घरेलू महिलाएँ पुरुष की सत्ता और उसके सामाजिक नियंत्रण को भली भाँति जानतीं हैं। बचपन से ही वे उसके शिकंजे में कसे होने के कारण प्रतिरोध व प्रतिशोध का साहस खो चुकीं होती है। समाज का घरेलू हिंसा पर मौन समर्थन, न्याय प्रणाली में पुरुषों की प्रभावी दखलंदाजी, आदि उसे सब कुछ सहने को विवश करती है। होना यह चाहिए कि घरेलू महिलाओं के प्रति हिंसा पर समाज का सक्रिय सहयोग पीड़िता को मिले तथा पुलिस, शासन और न्याय प्रणाली में कठोर दण्ड का प्रावधान करते हुए दोषियों को जेल के अन्दर डालकर जमानत न दें यही अतिंम सच है जो नारी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, लेकिन तब, जब नारी स्वयं अपनी ताकत के साथ विद्रोह की मुद्रा में खड़ी होगी।

सन्दर्भ

1– प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2013 पृ0, प्रतियोगिता दर्पण सितम्बर 2002 पृ0, 364

2– नेशनल क्रादम रिकार्ड ब्यूरो, रिपोर्ट, समाज कल्याण फरवरी 2016, पृ0 13

3– लेख महिला सशक्तीकरण से ही रूकेगी घरेलू हिंसा, कुमार दिनेश सिंह समाज कल्याण फरवरी 2016 पृ0 13

4– राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, केरल एक रिपोर्ट

5– आहूजा राम ''सामाजिक समस्याऐं'' रावत पब्लिकेशन जयपुर 2016, पृ0 435

6– Meir, maria, 1980 Indian women and patriarchy : concept publications new Delhi.

7– माथुर प्रियंका महिला सशक्तिकरण ज्योति प्रकाशन जयपुर 2010 पृ0 24